हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्र.न. 8/2015	
[illegible]-17	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश/ दौरा, अधिकारी [illegible]/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-12-17 को पेश हो। [signature]	
[illegible]-12-17	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] / [illegible] कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-3-18 को पेश हो। [signature]	
[illegible]-3-18	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-6-18 को पेश हो। [signature]	
[illegible]-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 [illegible] 25-6-18 चौमूं पुरोहितान 10-5-18 [illegible] [signature]	
[illegible]2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– चौमूं पुरोहितान् के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र स्थगन वर्ष 2015 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तामील हेतु आदिनांक तक भी सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी बन्द की जाती है। प्रकरण में स्थगन आदेश दिनांक 09.11.2015 से चल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में तादौराने मूल अपील नामान्तकरण के फैसले तक अप्रार्थीगण् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जाता है कि वे विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 425, 426, 427 कुल किता 3 कुल रकबा 4.00 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का चौमू पुरोहितान् के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प– चौमूं पुरोहितान् के मजमे – ए– आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–चौमूं पुरोहितान

Scanned by CamScanner